आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम 31(ख) एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कोच (स्कूल शिक्षा) पद पर आदेश क्रमांक :– शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/ 6001/2021–22 दिनांक : 06.04.2022 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को **कोच** के पद पर वेतन लेवल–12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 11 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक		वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	वर्ग	जन्मतिथि	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	एम्प्लोई आई.डी.	चयन तिथि	नवीन पदस्थापन स्थान
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	156	1	2013-2014	**राजेन्द्र सिंह चौहान**	UR	22-09-88	कोच बास्केटबॉल	राउमावि, मुरलीपुरा बीड, जयपुर	RJJP20131 8012886	01-04-21	श्री कल्याण राउमावि सिल्वर जुबली रोड, (219151) पिपराली, सीकर
2	106	-	2014-2015	**दिलीप सिंह**	UR	12-11-62	कोच जिम्नास्टिक	राउमावि, सार्दूल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर	RJBI19850 9012649	01-04-20	रा. सार्दूल स्पोर्टस स्कूल, (211246) बीकानेर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक : 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक : 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com पर तुरंत सूचित करेंगे। कोच के पद पर पद विरूद्ध कार्यरत PTI II/III ग्रेड को नियुक्ति अधिकारी संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के लिए **कार्यमुक्त करें।**

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक 06/06/22 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक : 06/06/22 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) तक आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक : 07/06/22 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें। कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में पदोन्नित परित्याग समझा जावेंगा।

Rajasthan Education Department

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्र्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नही हुई हो। अन्र्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगां।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/डीपीसी/**अर्थशास्त्र, भूगोल व अन्य विषय**/2020–21/ दिनांक : 23.05.2022

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

1. अति मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा..... ।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान।
8. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/संस्थापन ए.बी.।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते